राज्य सरकार ने इस विषय को अत्यन्त ही गम्भीरता से लिया है । अतः अनुरोध है कि वित्त विभाग के पत्र सं0- 175 दिनांक 30.1.03 के अनुरूप ही प्रोन्नति की स्थिति में वेतन निर्धारित किया जाय और अगर वर्णित परिपत्र की भावना से हटकर वेतन निर्धारण किया गया है तो अविलम्ब उसका परिमार्जन करते हुये अधिक राशि की वसूली सुनिश्चित की जाय ।

सुविधा हेतु वेतन निर्धारण का एक ~~अह~~ आदर्श नमूना अनुलग्नक 5 "क" के रूप संलग्न है ।

अनु0:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

2/11/04

(बी0 के0 मिश्र)
सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक-3/एस-6(प्रोन्नति)02/02 2540/वि0 रांची, दिनांक 2.11.04

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार एवं झारखंड, बीरचंद पटेल पथ, पटना/पो0-हिन्नू, रांची तथा वित्त(वे0दा0नि0को0) विभाग, को सूचनार्थ एवं कड़ाई से अनुपालनार्थ प्रेषित ।

2/11/04

(बी0 के0 मिश्र)
सरकार के अवर सचिव ।